खाद्य सुरक्षा हेतु एक सहयोगी दृष्टकिोण की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

भारत प्रगतशील अर्थव्यवस्था, उच्च आय, खाद्यान की प्रचुरता के बावजूद अपनी बड़ी आबादी को सही पोषण प्रदान करने के लयि संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य वकिल्पों की ववििधिता के साथ स्वस्थ वकिल्पों (गुणवत्ता और सुरक्षा) की मांग भी तेज़ी से बढ़ी है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के रूप में वभिन्नि अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानकों के साथ भारतीय खाद्य मानकों की चर्चा इस लेख में की गई है।

खाद्य सुरक्षा के प्रमुख मानकों का नर्िधारण

वैश्वकि खाद्य सुरक्षा मानकों का नर्िधारण जीएफएसआई, खाद्य स्वास्थ्य और कृषसिंगठन (एफएओ) तथा वशि्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ मलिकर करता है।

जीएफएसआई - वैश्वकि खाद्य सुरक्षा पहल
(GFSI - Global Food Safety Initiative)

- जीएफएसआई मई 2000 में द फूड बज़िनेस फोरम (सीआईएस) द्वारा लॉन्च कयिा गया था।
- नर्िमाता सलाहकार सदस्यों के साथ एक खुदरा वक्रिेता संचालति समूह जीएफएसआई फाउंडेशन बोर्ड को रणनीतकि दशिा प्रदान करता है और दैनकि प्रबंधन की देखरेख करता है।
- जीएफएसआई के तहत 7 प्रमुख खुदरा वक्रिेताओं ने चार जीएफएसआई बेंचमार्क युक्त खाद्य सुरक्षा योजनाओं की एक आम स्वीकृतप्रिाप्त की है। स्टैण्डर्ड ऑनर और अन्य प्रमुख हतिधारकों द्वारा पाँच खाद्य सुरक्षा योजनाओं के लयि बेंचमार्किंग कार्य कयि गए हैं:
  ♦ बीआरसी मानक (BRC Standard)
  ♦ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक (International Food Standard)
  ♦ Dutch HACCP
  ♦ SQF 1000/ 2000
  ♦ एसओ 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन
- प्रत्येक योजना ने अब खाद्य नर्िमाण से खाद्य सुरक्षा वशिषज्ञों द्वारा परभिाषति सामान्य मानदंडों के साथ गठबंधन कयिा है जसिसे खाद्य वनिर्िमाण को यथासंभव सुरक्षति बनाया जा सके।
- यह आपूर्तशि्रृंखला में लागत दक्षता को बढ़ाएगा और लेखा परीक्षा के दोहराव को कम करेगा।

- भारत में यह कार्य भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधकिरण (एफएसएसएआई) द्वारा कयिा जाता है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधकिरण (एफएसएसएआई) ने कोडेक्स मानकों के अनुरूप कई खाद्य पदार्थों के मानकों को सुसंगत बनाया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधकिरण (एफएसएसएआई)

- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधनियिम, 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधकिरण (एफएसएसएआई) का गठन कयिा।
- जसिको 1अगस्त, 2011 में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक वनियिम (पैकेजगि एवं लेबलगि) के तहत अधसिूचति कयिा गया।
- इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परवार कल्याण मंत्रालय के तहत कयिा जाता है।
- इसका मुख्यालय दल्लिी में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधनियिम के वभिन्नि प्रावधानों को लागू करने का काम करता है।

एफएसएसएआई के कार्य

- एफएसएसएआई मानव उपभोग के लयि पौष्टकि भोजन का उत्पादन, भंडारण, वतिरण, बक्रिी और आयात की सुरक्षति उपलब्धता को सुनश्चिति करने का काम करता है।
- इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, ज़लिा एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बक्रिी के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।
- यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है।
- ध्यातव्य है कसिुरक्षति और पौष्टकि खाद्य (एसएनएफ) कार्यक्रम के तहत एफएसएसएआई नागरकि मार्गदर्शन और क्षमता नर्िमाण सहति वभिन्नि पहलों के माध्यम से सभी के लयि खाद्य सुरक्षा सुनश्चिति करने हेतु सक्रयि भूमकिा नभिा रहा है।

मानकों के निर्धारण में अपेक्षित सुधार

- मानकों को अपनाने या स्थापित करते समय खाद्य वस्तुओं की स्थानीय, सांस्कृतिक और भौगोलिक उत्पत्ति को ध्यान में रखना चाहिये।
- पौष्टिक और सुरक्षित भोजन को दुनिया भर के सभी देशों की मूलभूत आवश्यकता है, अतः हमारे पास इसकी सुनिश्चितता हेतु, सामान्य पैरामीटर होना चाहिए।
- वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बनाते हुए भारतीय खाद्य मानकों को सुदृढ़ करना भी एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इसके साथ ही उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से की गई खाद्य पदार्थों की लेबलिंग उपभोक्ताओं के डर का कारण न बने इसके लिए भी अभ्यास करने की आवश्यकता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/food-safety-needs-a-collaborative-approach